न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/41/2021	2021/157	08.10.2021	30.04.2024

1. ललिता देवी उम्र करीब 62 साल पुत्री स्व. शान्ति पत्नि श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम बासडा ब्राडामणान तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान ।

अपीलान्ट

बनाम

1. पूरणमल पुत्र श्री रामचन्दर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान।
2. उप तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान

रैस्पोडेन्टस

राजस्व प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा उप तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03.02.1983 नामान्तकरण विरासत संख्या 711 ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला राजस्थान विरासत रामचन्द्र पुत्र हरचंद जाति ब्राहण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला राजस्थान एंव दिलये जाने खाबा सती व अन्य दादरसी।

उपस्थितः—

01. श्री जनार्दन शर्मा — वकील अपीलाण्ट
02. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल — रेस्पोडेन्ट संख्या 01
03. राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट 02

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील उप तहसीलदार मालाखेडा के निर्णय दिनांक 03.02.1983 नामान्तकरण संख्या 711 वाके ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिसके द्वारा नामान्तकरण को स्वीकार किए जाने से व्यथित होकर पेश की है, जिसके तथ्य निम्न प्रकार से है कि मिन अपीलान्ट को आज्ञा उप तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03.02.1983 नामान्तकरण विरासत संख्या 711 ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान विरासत रामचन्दर पुत्र हरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान की कोई जानकारी नही थी। अब दिनांक 26.08.2020 को मिन अपीलान्ट ने अपने पूर्वज दादा रामचन्दर के खातेदारी की आराजी के राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, तो सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस पर दिनांक 26.08.2020 को ही नकल के लिए प्रार्थनापत्र पेश किया, जो नकल दिनांक 27.08.2020 को तैयार होकर प्राप्त हुई। दिनांक 28.08.2020 से आज तक अपील करने के लिए आवश्यक खर्च का इंतजाम कर व कानूनी राय लेकर सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 26.08.2020 से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है। दिनांक 03.02.1983 से दिनांक 26.08.2020 तक का समय जानकारी के अभाव में काबिल माफी है। एंव मियाद में कन्डोन किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है। अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत संख्या 711 ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान विरासत रामचन्दर पुत्र हरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान में वर्णित आराजी वाके ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी में अपीलान्ट एंव रैस्पाडेन्ट संख्या 1 का पूर्वज रामचन्दर पुत्र हरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान अपने हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार था, जो रामचन्दर की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। रामचन्दर पुत्र हरचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। रामचन्दर मृतक के दो पुत्र रैस्पाडेन्ट संख्या 1 पूरणमल व मिन अपीलान्ट के पिता मदनलाल थे, मिन अपीलान्ट के पिता मदनलाल का स्वर्गवास रामचन्दर के जीवनकाल में ही हो गया। इसलिए रामचन्दर मृतक की विरासत का नामान्तकरण उसके समस्त वारिसान अपीलान्ट की माता शान्ति बेवा मदनलाल एंव रैस्पाडेन्ट संख्या 1 दर्ज करवाने के अधिकारी थे, मिन अपीलान्ट की माता शान्ति बेवा मदनलाल होने का नोट उक्त इंतकाल पर लगा हुआ हैं, मिन अपीलान्ट की माता शान्ति बेवा मदनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। मिन अपीलान्ट मृतक शान्ति बेवा मदनलाल की पुत्री व मृतक रामचन्दर की पौत्री है। इसलिए मृतक रामचन्दर की विरासत का इंतकाल मिन अपीलान्ट व रैस्पाडेन्ट संख्या 1 के हक में दर्ज व तस्दीक कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। परन्तु रैस्पाडेन्ट संख्या 1 ने पटवारी हल्का आदि से साजबाज होकर मिन अपीलान्ट की माता का नाम दर्ज नहीं कराकर अकेले के नाम इंतकाल विरासत रामचन्दर अपने हक में दर्ज व तस्दीक कराया है। इसलिए अपीलाधीन इंतकाल निरस्तनीय है। उप तहसीलदार द्वारा बिना अपीलान्ट व उसकी माता को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, आलौच्य आज्ञा पारित की है। तथा वारिसान की सही प्रकार जांच नहीं की गई। जो आज्ञा अधीनस्थ न्यायालय न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्त है। रैस्पाडेन्ट संख्या 1 को यह तथ्य की बखूबी जानकारी हैं, कि रामचन्दर पुत्र हरचन्द के अपीलान्ट की माता भी वारिस है, तो अधीनस्थ न्यायालय को सभी वारिसान के नाम व्यक्तिगत सूचना जारी कर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल रैस्पाडेन्ट संख्या 1 को सुनकर ही आज्ञा पारित की गई है। जो आज्ञा विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत आज्ञा पारित की हैं। जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक की आराजी उसके समस्त जीवित वारिसान कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय की आज्ञा काबिल निरस्त है। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेंगे। अतः अपील पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुये, आज्ञा उप तहसीलदार गोविन्दगढ जिला अलवर राजस्थान दिनांक 03.02.1983 नामान्तकरण विरासत संख्या 711 ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान विरासत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

रामचन्दर पुत्र हरचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जावे, एंव मृतक के समस्त वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को रैस्पाडेन्टस से दिलाया जावे। अन्य दीगर दादरसी जो न्यायायल श्रीमान उचित समझे, अता फरमायी जावे। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स जरिये अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 का जबाव पेश किया है जिसके तथ्य निम्न प्रकार हैं। प्रा0प0 की चरण संख्या 01 में जानकारी के संबंध में जो तथ्य लिखे गये हैं गलत हैं स्वीकार नही है। अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जिसमें अपीलांट को सफलता की कोई आशा नहीं रखनी चाहिये। अपीलांट को विरासत इंतकाल संख्या 711 अपीलांट की माता शान्ति बेवा मदनलाल की पूर्ण जानकारी व सहमति से दर्ज व तस्दीक हुआ है। मृतक शांति को विरासत इंतकाल के बाबत कोई उज्र किसी प्रकार का नहीं था शान्ति देवी की मृत्यु दिनांक 16.06.2000 को हुई थी जिसकी मृत्यु होने पर क्रियाकर्म दाह संस्कार बारह ब्राह्मण वगै0 का सभी खर्चा रैस्पो0 ने वहन किया है मृतक शान्ति देवी रैस्पो0 के पास ही रहती थी तथा उसका रहन सहन खाना खुराक दवाई वगै0 का सभी खर्च रेस्पो0 ने वहन किया है। शान्ति देवी की मृत्यु सन 2000 में होने के बाद अब 21 साल बाद राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने की आवश्यकता क्यों हुई वर्णित नहीं किया है। रैस्पो द्वारा आराजी खसरा न0 1056 मिन उत्तर रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 1056 मिन उत्तर 2 बीघा 5 बिस्वा कुल 4 बीघा 11 बिस्वा का 1/4 भाग व खसरा न998 रकबा 7 बिस्वा का 1/18 भाग वाके ग्राम खोहरा का बेचान पून्या राम पुत्र मुरलीराम जाति मीना निवासी खोहरा मलावली को दिनांक 23.04.1997 को खसरा न0 423 पूर्ण एवं 424 का 1/13 भाग वाके ग्राम खोहरा मलावली को दिनांक 24.10.2018 को विजय सिंह पुत्र श्री चंद यादव निवासी महाराजपुरा तहसील तिजारा खसरा न0 1020 का 1/4 हिस्सा, 995, 1020, 1058 का 1/8 हिस्सा जयराम पुत्र पून्याराम मीना निवासी खोहरा को दिनांक 16.07.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा उक्त आराजी पर खरीदारान का कब्जा बहैसियत खातेदार के चला आ रहा है। उसके अलावा अन्य खसरा नंबर का बेचान कर दिया है जिस बाबत अपीलांट व उसकी माता शान्ति देवी को शुरू से जानकारी थी तथा मृतक शान्ति देवी मिन रैस्पो0 के पास ही रहती थी जिसकी मृत्यु होने पर क्रिया कर्म , ब्राह्मण भोज वगैरा सभी कार्य रेस्पो0 ने किया है। विवादित इंतकाल तस्दीक हो जाने के बाद नया इन्द्राज किया गया है। जिसकी जांच किया जाना न्याय संगत है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अपीलांट प्रार्थी मय खर्चा खारिज किये जाने की कृपा हो।

वकील अप्रार्थी द्वारा सर्वप्रथम मियाद बिन्दुओं के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है कि अपीलान्ट की ओर से विवादित इंतकाल न0 711 वाके ग्राम खोहरा मलावली की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत की है प्रार्थी रेस्पो ने पटवारी हल्का से इन्तकाल संख्या 711 की नकल दिनांक 17.09.2020 को प्राप्त की है। रैस्पो0 द्वारा प्राप्त की गई नकल में जो नोट लगाकर इबारत लिखी गई है वो दर्ज नहीं है जिससे स्पष्ट है कि नोट जो लगाया गया है वह इंतकाल तस्दीक होने के बाद लगाया है जिसकी प्रथम जांच होना आवश्यक है। विवादित इंतकाल के तहत दर्ज आराजी का विक्रय कर व्यक्तियों को कट किया गया है जो इस अपील में आवश्यक पक्षकार हैं। उनको बिना सुने इंतकाल अपील का निर्णय करना न्यायोचित नहीं

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

है। अपील मियाद बाहर होने से प्रथम मियाद का बिन्दु तय किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः उक्त बिन्दुओं का निस्तारण प्रथम किया जाने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना स्वीकार किये जाने के समर्थन में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान की साइटेशन 2017 (1) आर0आर0टी0 252, 2017 (1) आर0आर0टी0 258 पेश किये हैं।

वकील अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रार्थी द्वारा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि पूरणमल मुन्सिफ कोर्ट लक्ष्मणगढ में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था जिसने हल्का पटवारी को दवाब में लेकर नामान्तरकरण भरवाया गया जबकि पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण के कॉलम न0 14 में रामचन्द्र की विरासत का अंकन दर्ज किया है। नामान्तकरण में अंकित नोट की लेखन का मिलान करवाया गया तो ज्ञात हुआ कि नोट का अंकन भी उसी की हैण्ड राईटिंग से है। पडत पटवार में दवाब देकर नोट नही लगाने दिया। अपील के साथ प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण पडत सरकार है जो दफ्तर कानूनगो के पास होती है। जो बेचान किया गया है वह स्वयं के हिस्से की की गई है। क्या पूरणमल जो स्वयं कानून का जानकार था उसको पता नहीं था कि इस सम्पत्ति का 1/2 का हिस्सेदार मेरे भाई की पत्नी व पुत्री है जबकि प्रार्थी का विवाह माह मई 1978 में हुआ था जबकि नामान्तरकरण वर्ष 1983 में खुला है। मैं कैसे कानून की नजर में धूल झोंक रहा हूं। प्रकरण में दोनो पक्षकारों की बहस हो चुकी है तथा पत्रावली वास्ते निर्णय नियत है। प्रार्थी द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किये गये हैं उन तथ्यों के संबंध में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस के समच विवेचन किया जा चुका है इसलिए वर्तमान प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना खारिज किये जाने के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन 2019 आरबीजे 436, राजस्थान उच्च न्यायालय 2019 आरबीजे 443, 2017 आरबीजे 577, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्थान 2019 आरबीजे 69, 2019 आरबीजे 72, आरबीजे (16) 2009 पेश किये हैं।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया एवं वकीलों के पक्ष की बहस पर मनन किया। ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ मृतक रामचन्दर पुत्र हरचन्द जाति ब्राह्मण के नामान्तरकरण विरासत संख्या 711 को जारी करने में विधिक रूप से त्रुटि हुई है। वारिसों को नामान्तरकरण में दर्ज करने से वंचित किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में प्रमाणित तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन एवं मिलान किया गया। मृतक रामचन्दर पुत्र हरचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक रामचन्द्र के एक से ज्यादा संतान थे। यह पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से प्रमाणित है। जबकि नामान्तरकरण एक पुत्र श्री पूरणमल के नाम से जारी किया गया जो विधि के अनुरूप नही है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। बिना उचित कारण एवं प्रक्रिया के अपने अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है। अपील स्वीकार योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित होने से स्वीकार की जाती है। विरासत नामान्तरकरण संख्या 711 निर्णय दिनांक 03.02.1983 वाके ग्राम खोहरा मलावली तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर को निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस आशय के साथ तहसीलदार लक्ष्मणगढ को प्रतिप्रेषित किया जात है कि मृतक रामचन्दर पुत्र हरचन्द ब्राह्मण की विरासत की विधिवत/विस्तृत जांच कर एवं सभी वारिसों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 45 दिन में विस्तृत निर्णय पारित कर तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)